नागरिक अधिकार पत्र
सिंचाई विभाग

हमारा उद्देश्य

सिंचाई विभाग के कार्यो में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना, सिंचाई हेतु जल व्यवस्थाओं की सूचनाऐं, कमाण्ड क्षेत्र की सूचनाऐं, निर्माण एवं रखरखाव की सूचनाऐं इत्यादि उपभोक्ता कृषकों को देना एवं कृषकों की अन्य आवश्यकताओं एवं समस्याओं के निराकरण हेतु जानकारी देने हेतु यह नागरिक अधिकार पत्र जारी किया जा रहा है।

हमारी वचनबद्धता

पादर्शिता :
विभागीय कार्य प्रणाली में सरता, नियमों में स्पष्टता, कार्य सम्पादन में सहजता रखना एवं सिंचाई से संबंधित सभी पहलुओं की आधुनिक तकनीक के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाना।

जवाबदेही :
नागरिक अधिकार पत्र के अंतर्गत सिंचाई प्रशासन की प्रमुख कड़ी अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, पटवारी आदि के स्तर पर जवाबदेही, कार्य दायित्व एवं तत्सबंधी समय सीमाका निर्धारण करना।

संवेदनशीलता :
नागरिकों को पूरे सम्मान एवं संतुष्टी के साथ विवरण बताना।

गुणवत्ता :
सिंचाई विभाग द्वारा सम्पादित होने वाले कार्यों की गुणवत्ता की बाबत नागरिकों को स्पष्ट एवं संतोषप्रद जानकारी देना।

अभाव अभियोग :
कृषकोंएवं अन्य नागरिकों की समस्याओं/शिकायतों का निर्धारित समय में निराकरण कर उन्हें सूचित करना।

नाम अभिलेख	कार्यालय जहां से अभिलेख का निरीक्षण/नकल प्राप्त की जा सकती है	निर्धारित शुल्क	निर्धारित अवधि	विशेष विवरण
सभी प्रकार के भुगतान किये गये मस्ट्रोल बिल, वाउ्चर्स की प्रतिलिपियॉ	अधिशाषी अभियंता	10 रूपये प्रति पृष्ठ 20 रूपये प्रति पृष्ठ	एक सप्ताह	ए–4 साईज ए–3 साईज
कार्यो से संबंधित स्वीकृति के आदेशों की प्रतिलिपियॉ	अधिशाषी अभियंता	10 रूपये प्रति पृष्ठ 20 रूपये प्रति पृष्ठ	एक सप्ताह	ए–4 साईज ए–3 साईज
कार्यादेशों एवं सामग्री कय आदेशों, अनुबन्ध एवं स्वीकृत प्राक्कलन की प्रतिलिपियां	अधिशाषी अभियंता	10 रूपये प्रति पृष्ठ 20 रूपये प्रति पृष्ठ	एक सप्ताह	ए–4 साईज ए–3 साईज
भुगतान किये गये कार्य/कय से संबंधित माप पुस्तिका की	सहायक अभियन्ता	10 रूपये प्रति पृष्ठ 20 रूपये प्रति पृष्ठ	एक सप्ताह	ए–4 साईज ए–3 साईज
स्वीकृत आउटलेट से संबंधित तकनीकी सूचना देना	अधिशाषी अभियंता	10 रूपये प्रति पृष्ठ 20 रूपये प्रति पृष्ठ	एक सप्ताह	ए–4 साईज ए–3 साईज
स्वीकृत आउटलेट की क्षमता की जांच कर प्रतिवेदन हेतु	अधिशाषी अभियंता	200 रूपये प्रति केस	दो सप्ताह	–
कमान्ड, डीकमान्ड बाबत सर्वेक्षण करा प्रतिवेदन देने हेतु	अधिशाषी अभियंता	250 रूपये प्रति हेक्टेयर	तीन सप्ताह	–

सिंचाई हेतू जल की उपलब्धता, सिंचाई बारी से संबंधित सूचना	अधिशाषी अभियंता	10 रूपये प्रति पृष्ठ 20 रूपये प्रति पृष्ठ	एक सप्ताह	ए–4 साईज ए–3 साईज
स्वीकृत निविदाओं के तुलनात्मक प्रपत्र की प्रतिलिपि	अधिशाषी अभियंता	10 रूपये प्रति पृष्ठ 20 रूपये प्रति पृष्ठ	एक सप्ताह	ए–4 साईज ए–3 साईज
सिंचाई परियोजना से पुनर्वास एवं पुर्नउत्थान संबंधी सूचना	अधिशाषी अभियंता	10 रूपये प्रति पृष्ठ 20 रूपये प्रति पृष्ठ	एक सप्ताह	ए–4 साईज ए–3 साईज
जल संसाधनों के उपयोग हेतु मास्टर प्लान से संबंधित सूचना	अधिशाषी अभियंता	10 रूपये प्रति पृष्ठ 20 रूपये प्रति पृष्ठ	एक सप्ताह	ए–4 साईज ए–3 साईज
बजट आवंटन संबंधी सूचना	अधिशाषी अभियंता	10 रूपये प्रति पृष्ठ 20 रूपये प्रति पृष्ठ	एक सप्ताह	ए–4 साईज ए–3 साईज
आरोप पत्र एवं विभागीय जांच संबंधी जारी किये गये आदेशों की प्रतिलिपियां	मुख्य अभियंता	10 रूपये प्रति पृष्ठ 20 रूपये प्रति पृष्ठ	एक सप्ताह	ए–4 साईज ए–3 साईज
राजस्व लेखा जमाबन्दी चौसारा गिरदावरी वसूली मांग पत्र वास्तविक सिंचित क्षेत्र	हलका पटवारी	10 रूपये प्रति पृष्ठ 20 रूपये प्रति पृष्ठ	तीन दिन	ए–4 साईज ए–3 साईज

कार्य प्रणाली में परिवर्तन

कार्य के मानदण्ड :

प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के कार्य मानदंडों का स्पष्ट निर्धारण एवं दायित्व वहन के लिए उनकी प्रतिबद्धता निश्चित की गयी है। नागरिक अधिकार पत्र द्वारा कृषकों एवं नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य चिन्हित किये गये है जिन्हें सुनिश्चित करने के उपाय की प्रतिबद्धता अंकित की गयी है।

सिंचाई में जन भागीदारी :

जल उपभोक्ता संघ बनाकर सिंचाई प्रणाली उन्हें सम्भलाकर सिंचाई व्यवस्था करना, सिंचाई क्षेत्र का निर्धारण,सिंचाई कर निर्धारण, सिंचाई कर वसूली, प्रणाली का रख रखाव, समस्याओं का निदान आदि सभी प्रक्रियाओं का जन भागीदारी से सम्पादित करना।

आधुनिकीकरण :

सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण कर त्वरित गति प्रदान करना जिससे हर सुचना को आधुनिक तकनीक (खासकर कम्प्यूटरों के माध्यम से) का समावेश कर उपलब्ध करवाना एवं तकनीक के उपलब्ध साधनों का पूर्ण रुप से उपयोग करना।

सूचना का अधिकार :

सिंचाई विभाग के कार्य सम्पादन में रुचि रखने वाला व्यक्ति अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियंता, पटवारी के अभिलेखों का निर्धारित फीस देकर निरीक्षण कर सकता है एवं पेन्सिल नोट उतार सकता है तथा उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क जमा कराकर अभिलेखों की नकल प्राप्त कर सकता है।

——